न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 68 / 2024

1 प्रहलाद सिंह पुत्र स्व. भोपालसिंह उम्र 60 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम जुलियासर तहसील नेछवा जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 निर्मला देवी धर्मपत्नी श्री संजय कुमार जाति सरावगी महाजन निवासिनी हाल श्यामनगर जयपुर राज.।
2 श्रवण सिंह पुत्र स्व. भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 श्रीमती सुमन कंवर धर्मपत्नी दुर्गासिंह पुत्री स्व. भोपालसिंह निवासी जुलियासर हाल निवास धीरजपुरा मु.पो. मनाणा तहसील पवर्तनसर जिला नागौर राज.।
4 श्रीमत कैलाश कंवर धर्मपत्नी गोपालसिंह तथा पुत्री स्व. भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पडिहारा तहसील रतनगढ़ जिला चुरू राज.।
5 श्रीमती संतोष कंवर धर्मपत्नी सुरेन्द्रसिंह तथा पुत्री स्व. भोपालसिंह जाति राजपूत निवासिनी दीपसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
6 किशनसिंह
7 सोनू सिंह पुत्रगण भवानीसिंह
8 प्रियंका
9 मैना पुत्रियां भवानीसिंह
10 गटू कंवर पत्नी भवानीसिंह
11 सुप्यार कंवर पत्नी मोतीसिंह
12 राजू कंवर पुत्री मोतीसिंह
13 ओमसिंह
14 जयदेव सिंह पुत्रगण राजेन्द्र सिंह
15 संतोष कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह
16 विरेन्द्र सिंह
17 मनमोहन सिंह पुत्रगण कल्याणसिंह

अधिकारी एवं
अपील अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

18 सुरेश कंवर पुत्री कल्याण सिंह
19 रतन कंवर पत्नी भागीरथ सिंह
20 दिलीप सिंह पुत्र भागीरथ सिंह
21 जितेन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह
22 प्रदीप सिंह पुत्र भागीरथ सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जुलियासर तहसील नेछवा जिला सीकर।
23 श्रीमती सरोज देवी सदिया धर्मपत्नी श्री प्रमोद कुमार सदिया जाति अग्रवाल महाजन निवासिनी रामगढ़ सेठान हाल बी 238 क्लॉक टॉवर हरीनगर नई दिल्ली।
24 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर दावा संख्या 12/2005 (बी.टी. नम्बर 14/2011 व 06/2014) उनवानी निर्मला देवी बनाम भोपाल सिंह (जां कालांतर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा के यहां स्थानान्तरित होकर मुकदमा संख्या 187/2023 के रूप में दर्ज होकर अंतिम रूप से निर्णित हुआ) दिनांकित 17.08.2021

अपील संख्या 69/2024

1 प्रहलाद सिंह पुत्र स्व. भोपालसिंह उम्र 60 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम जुलियासर तहसील नेछवा जिला सीकर।

अपीलांट्स

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 निर्मला देवी धर्मपत्नी श्री संजय कुमार जाति सरावगी महाजन निवासिनी हाल श्यामनगर जयपुर राज.।
2 श्रवण सिंह पुत्र स्व. भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 श्रीमती सुमन कंवर धर्मपत्नी दुर्गासिंह पुत्री स्व. भोपालसिंह निवासी जुलियासर हाल निवास धीरजपुरा मु.पो. मनाणा तहसील पवर्तनसर जिला नागौर राज.।
4 श्रीमत कैलाश कंवर धर्मपत्नी गोपालसिंह तथा पुत्री स्व. भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पडिहारा तहसील रतनगढ़ जिला चुरू राज.।
5 श्रीमती संतोष कंवर धर्मपत्नी सुरेन्द्रसिंह तथा पुत्री स्व. भोपालसिंह जाति राजपूत निवासिनी दीपसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
6 किशनसिंह
7 सोनू सिंह पुत्रगण भवानीसिंह
8 प्रियंका
9 मैना पुत्रियां भवानीसिंह
10 गटू कंवर पत्नी भवानीसिंह
11 सुप्यार कंवर पत्नी मोतीसिंह
12 राजू कंवर पुत्री मोतीसिंह
13 ओमसिंह
14 जयदेव सिंह पुत्रगण राजेन्द्र सिंह
15 संतोष कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह
16 विरेन्द्र सिंह
17 मनमोहन सिंह पुत्रगण कल्याणसिंह
18 सुरेश कंवर पुत्री कल्याण सिंह
19 रतन कंवर पत्नी भागीरथ सिंह
20 दिलीप सिंह पुत्र भागीरथ सिंह
21 जितेन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह
22 प्रदीप सिंह पुत्र भागीरथ सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जुलियासर तहसील नेछवा जिला सीकर।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

23 श्रीमती सरोज देवी सदिया धर्मपत्नी श्री प्रमोद कुमार सदिया जाति अग्रवाल महाजन निवासिनी रामगढ़ सेठान हाल बी 238 क्लॉक टॉवर हरीनगर नई दिल्ली।
24 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा जिला सीकर राजस्व वाद संख्या 187/2023 उनवानी निर्मला देवी बनाम भोपाल सिंह आदि दिनांकित 31.01.2024

उपस्थिति :
1. श्री महेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रमोद मोदी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सज्जन सिंह कविया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा (पूर्व में सहायक कलेकटर लक्ष्मणगढ़) द्वारा मुकदमा नम्बर 187/2023 में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2021 व 31.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

भूमि खसरा नम्बर 286 वाके ग्राम जुलियासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन वाद में विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) लक्ष्मणगढ़ द्वारा अवैध रूप से दिनांक 17.08.2021 को तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने निमित निर्णय पारित कर दिया गया था जिसके खिलाफ अपीलान्ट द्वारा अलग से माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा चुकी है परन्तु निर्णय दिनांकित 17.08.2021 के पश्चात अपीलाधीन वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा द्वारा भी अपीलाधीन वाद में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वाद में अपनाई जाने वाली प्रकिया की कोई पालना किये बिना सरसरी तौर पर ही प्रज्यूडिस होकर अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है जो सर्वथा अवैध होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं होकर प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है वह विभाजन प्रस्ताव सर्वथा विधि एवं नियम विरूद्ध है जो प्रस्तुत अपील की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निर्मला देवी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 23 सरोज देवी की मिलीभगत से तहसील कार्यालय में बैठकर उनके कहे अनुसार पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है जिस पर तहसीलदार द्वारा केवल मात्र अपने हस्ताक्षर किए गए है। जो बंटवारा संबंधी विधि एवं नियम विरूद्ध है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में विवादित भूमि की हिस्सेदारी से कम अधिक हिस्सा सहखातेदारों में रखा है, इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 23 को अलग से बंटवारे में अलग से भूमि दी गई है तथा उन्हें सहखातेदारान के साथ सहखातेदार भी दर्शित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव सर्वथा अवैध है तथा विचारण न्यायालय द्वारा भी विभाजन प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत होने पर अपीलान्ट सहित अन्य सहखातेदारान को बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने निमित कोई अवसर प्रदत्त किये बिना ही तथा बंटवारा प्रस्ताव का विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन किये बिना ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

अवैध रूप से अपीलधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है जो कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होकर प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किए जाने से पूर्व अपीलाधीन वाद के प्रतिवादीगण सदा कंवर, महेन्द्र सिंह केशर कंवर व सुगन कंवर का देहान्त हो चुका था जिनके कायम मुकाम की कोई कार्यवाही किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री मृतक व्यक्तियों के खिलाफ पारित की गई होने के कारण भी शुन्यता की श्रेणी में आती है। जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं होकर प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में दिनांक 31.01.2024 को जो निर्णय पारित किया गया है, विधि एवं नियमानुसार उक्त निर्णय की पालना में डिक्री पारित की जानी होती है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 31.08.2024 की पालना में कोई डिक्री पारित नहीं की गई है। इस कारण निर्णय के अंतिम पैरा को ही डिक्री मानते हुए अपीलान्ट द्वारा अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाधीन वाद के प्रतिवादीगण सदा कंवर, महेन्द्रसिंह, भवानीसिंह, केशर कंवर, सुगन कंवर तथा राजेन्द्र सिंह का देहान्त हो चुका है सदा कंवर, महेन्द्र सिंह, भवानी सिंह, केशर कंवर, सुगन कंवर के वारिसान अपीलाधीन निर्णय में पूर्व से ही रिकार्ड पर होने के कारण उन्हें प्रस्तुत अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया, निर्णय में अंकित इनके वारिसों को पहले से ही बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया जा चुका है। भवानीसिंह व राजेन्द्र सिंह के वारिसों को बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 286 वाके ग्राम जुलियासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी कर दी। प्रस्तुत अपील प्रतिवादी संख्या 1 भोपाल सिंह के पुत्र प्रहलाद की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 भोपाल सिंह की जरिये वकील श्री प्रमोद कुमार मोदी उपस्थिति रही है। भोपाल सिंह की मृत्यु पर विचारण न्यायालय ने भोपाल सिंह के वारिसान को सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.08.2021 को उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। दिनांक 03.01.2024 को तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नेछवा द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। दिनांक 10.01.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अंतिम डिक्री के लिए अनापत्ति जाहिर की है। इस पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 286 वाके ग्राम जुलियासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी कर दी।

प्रस्तुत अपील प्रतिवादी संख्या 1 भोपाल सिंह के पुत्र प्रहलाद की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 भोपाल सिंह की जरिये वकील उपस्थिति रही है। भोपाल सिंह की मृत्यु पर विचारण न्यायालय ने भोपाल सिंह के वारिसान को सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय ने दिनांक ———————

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

17.08.2021 को उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है।

विचारण न्यायालय में दिनांक 03.01.2024 को तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नेछवा द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किये गये है। दिनांक 10.01.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अंतिम डिक्री के लिए अनापत्ति जाहिर की है। इस पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि प्रतिवादी संख्या 1 मृतक भोपाल सिंह के एक अन्य पुत्र श्रवण सिंह भी है। श्रवण सिंह द्वारा विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय मे हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर